



::-आदेश:-

भोपाल दिनांक 15/06.2022

कमांक/स्था-1/भ्र.नि.अ./निलबंन-335/2022/1093 राज्य शासन द्वारा नगरपालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ में श्री अशोक कुमार भामोलिया को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पद पर दिनांक 26.11.2021 को पदस्थ किया गया है।

संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पत्र कमांक संसं/स्था/सी0एम0ओ0/2022/1039 दिनांक 10.06.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अशोक कुमार भामोलिया मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ को लोकायुक्त भोपाल द्वारा रगे हाथों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

संयुक्त संचालक के प्रतिवेदन के अनुक्रम में श्री अशोक कुमार भामोलिया मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 86, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा म.प्र.नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलबंन अवधि में श्री अशोक कुमार भामोलिया का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग भोपाल म.प्र. रहेगा तथा निलंबन अवधि में श्री भामोलिया को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Muhim

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)

वि.क.अ.-सह आयुक्त एवं

पदेन प्रमुख सचिव

नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

भोपाल दिनांक 15/06/2022

पृष्ठा. कमांक/स्था-1/भ्र.नि.अ./निलबंन-335/2022/1093
निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ:-

- 1- विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल।
- 2- स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3- कलेक्टर जिला राजगढ म.प्र।
- 4- संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 5- प्रशासक/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ म.प्र।
- 6- श्री अशोक कुमार भामोलिया मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ (निलंबित) म.प्र. की ओर पालनार्थ।
- 7- श्री नरेन्द्र भगत वेब कन्टेंट मेनेजर की ओर वेबसाईट में प्रकाशित करने के लिये।

Muhim

वि.क.अ.-सह आयुक्त एवं

पदेन प्रमुख सचिव

नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.